P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-12* March- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयाम

कैलाश दान रतनू
सहायक आचार्य,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
श्री मिश्रीलाल सांवल राजकीय महिला महाविद्यालय,
जैसलमेर, राजस्थान

सारांश

आज के वैश्वीकरण युग में बदलते परिवेश और प्रतिमानों की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय संस्कृति की गहन और विशद व्याख्या अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी मौलिकता है। जो उसे विलक्षण बनाती है। यही संस्कृति परम्परानुसार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और इसमें अनेक सदियों का संचित अनुभव शामिल होता है। अतः संस्कृति को समाज की आत्मा भी कहा जा सकता है। प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य विषय हैः सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, संचरण एवं संवर्धन में संस्कृत भाषा की भूमिका। अतः इसके लिए मैं संस्कृत भाषा को केन्द्रित करना चाहूँगी क्योंकि यदि भारतीय संस्कृति का उद्भव कहीं से हुआ है तो वह संस्कृत भाषा ही है और यह हमारे लिए एक विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर भी है।

मुख्य शब्द : सशक्तीकरण, भूमिका, प्रस्थिति, भू–मंडलीकरण, संविधान।

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे है। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में तदनुरूप बदलाव भी होते रहे हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सम्पत्ति में उनको बराबरी का हक था। सभा व समितियों में वे स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थीं तथापि ऋग्वेद में कुछ ऐसी उक्तियां भी हैं जो महिलाओं के विरोध में दिखाई पड़ती हैं। मैत्रयीसंहिता में स्त्री को झूठ का अवतार कहा गया है। ऋग्वेद का कथन है कि स्त्रियों के साथ कोई मित्रता नहीं है। उनके हृदय भेड़ियों के हृदय हैं। ऋग्वेद के अन्य कथन में स्त्रियों को दास की सेना का अस्त्र–शस्त्र कहा गया है। स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी कहीं न कहीं स्त्रियां नीची दृष्टि से देखी जाती थीं। फिर भी हिन्दू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह समान रूप से समादृत और प्रतिष्ठित थीं। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उसका महान योगदान था। संस्थानिक रूप से स्त्रियों की अवनति उत्तर वैदिककाल से शुरू हुई। उन पर अनेक प्रकार के निर्योग्यताओं का आरोपण कर दिया गया। उनके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उनकी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाये जाने लगे। मध्यकाल में इनकी स्थिति और भी दयनीय हो गयी। पर्दा–प्रथा इस सीमा तक बढ़ गई कि स्त्रियों के लिए कठोर एकान्त नियम बना दिए गये। शिक्षण की सुविधा पूर्णरूपेण समाप्त हो गई।

नारी के सम्बन्ध में मनु का कथन ''पितारक्षति कौमारे.....न स्त्री स्वातंन्नयम् अर्हति।'' वहीं पर उनका कथन ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'', भी दृष्टव्य है वस्तुतः यह समस्या प्राचीनकाल से रही है। इसमें धर्म, संस्कृति साहित्य, परम्परा रीति–रिवाज और शास्त्र को कारण माना गया है। भारतीय दृष्टि से इस पर विचार करने की जरूरत है। पश्चिम की दृष्टि विचारणीय नहीं। भारतीय सन्दर्भों में समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाएं तभी सकारात्मक परिणाम संभव है। भारतीय मनीषा समानाधिकार, समानता, प्रतियोगिता की बात नहीं करती वह सहयोगिता सहधर्मिति, सहकारिता की बात करती है। इसी से परस्पर सन्तुलन स्थापित हो सकता है।

अध्ययन का उदेश्य

1. महिलाओं के सर्वागींण विकास, उन्नति तथा सशक्तीकरण को मूर्त रूप प्रदान करना, ताकि महिलाएँ अपनी क्षमताओं को समझ सकें।
2. राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का पुरूषों के समान कानूनी तथा व्यावहारिक उपयोग करना।

3. सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन मे महिलाओं द्वारा भागीदारी और निर्णय क्षमता का समान अवसर प्रदान करना।
4. विकास प्रक्रिया मे एक समान लैंगिक दृष्टिकोण को लागू करना।
5. महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचार एवं भेदभाव का उन्मूलन करना।
6. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे महिलाओं को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना।
7. महिलाओं को कानूनी, संवैधानिक प्रावधानों के प्रति जागरूक करना।
8. महिलाओं को कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति सजग करना। ताकि समाज में महिलाएँ, विभिन्न महिला संगठन अपने हक के लिए प्रबलता से अपनी आवाज को बुलन्द कर सके। समाज मे महिलाएँ सम्मानित एवं गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें।

साहित्यावलोकन

प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक महिला की स्थिति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान नहीं रही है। प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त था, शुरूआती वैदिक काल मे महिलाएँ बहुत शिक्षित थी। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में मैत्रयी जैसी महिलाओं के उदाहरण भी है, लेकिन मनु का प्रसिद्ध ग्रंथ, मनुस्मृति आने के बाद, महिलाओं की स्थिति पुरूषों के अधीन हो गई।

सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाएँ बाल–विवाह, देवदास प्रणाली, नगर वधू, सती प्रथा आदि शुरू हुई। महिलाओं के सामाजिक–राजनीतिक अधिकारों को कम कर दिया गया और इससे वो परिवार के पुरूष सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई है। शिक्षा के अधिकार, काम करने के अधिकार और खुद के लिए फैसला करने के अधिकार उनसे छीन लिए गए। मध्ययुगीन काल के दौरान भारत मे मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ महिलाओं की हालत और भी खराब हुई।

स्वतंत्रता, समानता और न्याय की आधुनिक अवधारणा से प्रभावित राजा राम मोहन राय जैसे कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने महिलाओं के खिलाफ प्रचलित भेदभाव संबंधी प्रथाओं पर सवाल खड़ा किया। आपने निरन्तर प्रयासों के माध्यम से सती प्रथा को समाप्त किया। इसी तरह ईश्वर चन्द विद्यासागर, स्वामी विवेकानन्द, आचार्य विनोबाभावे आदि जैसे कई अन्य सामाजिक सुधारकों ने भारत मे महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। उदाहरणार्थ 1856 मे ईश्वर चन्द्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवाया गया। सिमोन द बुआ 'द सेकेण्ड सैक्स',1949, फायरस्टॉन 'द'डायलेक्टिकस ऑफ सैक्स',1970 कृतियों मे नारीवादी आन्दोलन एवं विमर्श की समाजशास्त्रीय विवेचना की। ए.एस. अल्टेकर कृत 'द पोजीषन ऑफ वुमन इन हिन्दु सिविलाइजेशन', 1938 में बताया कि भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में नारी के कर्तव्य को आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्री के रूप में परिभाषित किया गया है। आपने बताया कि ऐतिहासिक स्त्रोतों में भारतीय नारी के गौरवपूर्ण चित्रण को प्रस्तुत किया गया है।[10]

राम आहूजा ने अपनी कृति 'राइट्स ऑफ वुमन : ए फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव, 1992 में बताया कि 18–50 वर्ष आयु समूह की 753 स्त्रियों का अनुभवाश्रित अध्ययन किया और पाया कि अभी भी अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं का स्तर निम्न है।[7] नीरा देसाई एवं ऊषा ठक्कर कृत ''भारतीय समाज में महिलाएँ'' में आपने नारी जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आपने महिलाओं की वास्तविक परिस्थिति का चित्रण किया साथ ही उनकी प्रगति एवं पिछड़ेपन की विवेचना की।[12] एम.एन. श्रीनिवास कृत 'द चेंजिग पॉजीशन ऑफ इण्डियन वुमन', 1978 में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की परिवर्तित होती प्रस्थिति पर प्रकाश डाला।[13] 'दीपा माथुर ने 'वुमन फैमिली एण्ड वर्क', 1992 ने कामकाजी महिलाओं का अध्ययन किया। राम आहुजा ने 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक आधार पर प्रत्येक काल में स्त्रियों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया।[6] नीरा देसाई की पुस्तक, ' वुमन इन इण्डियन सोसाइटी, 2001 स्त्रियों की दशा एवं दिशा को व्यक्त करने हेतु महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं, जिसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को बताया गया है।[14]

सिंघल विपिन कुमार, कृत ''भारत में महिला सशक्तीकरण : समस्याएँ एवं चुनौतियाँ, 2017, भारत में महिला सशक्तीकरण से जुड़े विविध पक्षों का अध्ययन करती है। आनुभाविक अध्ययन के माध्यम से इसमें महिला विकास के समक्ष उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं एवं महत्वपूर्ण चुनौतियों का उल्लेख किया गया है।[2] आर्य कु.रीना ने 2017 में अपने लेख ''पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता'' में बताया है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 79वां संविधान संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है।[1] डॉ. पुष्पम सद्गुरू (2016) ने अपने शोध पत्र मानवाधिकार तथा महिला सशक्तीकरण में बताया कि महिलाओं की स्थिति में आमूल–चूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वैशाली देवपुरा ने ''राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी : समस्याएँ एवं सम्भावनाएँ'', 2018 विषयक लेख मे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की विवेचना की है।[3]

भारतीय संविधान

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्वों में लैंगिक समानता के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं की समानता को सुनिष्चित करता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष मे सकारात्मक भेदभाव का निर्देश देता है। लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे मे हमारे कानून, विकास नीतियां, योजनाएं तथा कार्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रों मे महिलाओं के उत्थान की ओर उन्मुख रखा गया है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–78) से महिला कल्याण से लेकर विकास तक के मुद्दे को उठाया जा रहा है। हाल के वर्षो में महिला सशक्तीकरण को महिला की दशा का एक केन्द्रीय मुद्दा माना गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1990 मे संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है,

जिसके तहत महिला के अधिकारों तथा कानूनी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन (1993) मे पंचायत तथा नगर निकाय के चुनाव मे महिला को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय स्तरों पर उनकी भागीदारी का मार्ग प्रषस्त होता है।[4]

भारत ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाओं तथा मानवाधिकार दस्तावेजों को अपना समर्थन दिया है, जो महिला के समान अधिकार की बात उठाते है। उनमे से प्रमुख है वर्ष 1993 मे लाई गई महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन की घोषणा (CEDAW)। द मेक्सिको प्लान ऑफ ऐक्शन (1975), नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी (1985), द बीजिंग डिक्लेरेशन तथा प्लेटफॉर्म फॉर ऐक्शन (1995) व 21वीं शताब्दी में लैंगिक समानता तथा विकास व शांति पर आयोजित UNG। सत्र द्वारा ग्रहण किया गया आउटकम डॉक्युमेंट को भी भारत का पर्याप्त समर्थन मिला है।यह नीति नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा महिला सशक्तीकरण से जुड़े अन्य क्षेत्र के लिए भी प्रतिबद्ध है।

महिलाओं का आंदोलन तथा गैर–सरकारी संगठनों का एक विशाल नेटवर्को ने, जिनकी भूमि स्तर की उपस्थिति है और महिलाओं की समस्याओं की गहरी समझ है, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रेरक प्रयास किया है।हांलाकि संविधान, विधायिका, नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम और संबद्ध प्रणालियों व देश की महिलाओं की वास्तविक दशा के बीच एक चौड़ी खाई मौजूद है। भारत मे महिलाओं की दशा पर गठित समिति की रिपोर्ट की समानता की ओर 1974 मे इसका गहन विश्लेषण किया गया है और 1988–2000 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय योजना, श्रमशक्ति रिपोर्ट, 1988 व कार्य मंच पांच वर्ष बाद एक मूल्याकंन को रेखांकित किया गया।

लैंगिक असमानता कई रूपों मे दिखाई पड़ती है, जिसका सबसे सामान्य रूप है जनसंख्या मे स्त्रियों के अनुपात का लगातार नीचे गिरना। सामाजिक ढर्रा तथा घरेलू और सामाजिक स्तर की हिंसा इसके अन्य रूप है। बालिकाओं, किशोरियों तथा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव देश के कई हिस्सों मे पाए जाते है। लैंगिक असमानता के कई छुपे कारणों का संबंध सामाजिक तथा आर्थिक रचना से है, जो औपचारिक तथा अनौपचारिक रीतियों और व्यवहारों पर आधारित है। परिणामस्वरूप विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजातियां। अन्य पिछड़ी जातियां तथा अल्पसंख्यक समुदाय समेत समाज के कमजोर वर्गो की महिलाओं तक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उत्पादक संसाधनों की पहुंच अपर्याप्त है। अतः वे प्रायः हाशिए पर रह कर गरीबी और सामाजिक रूप से बहिष्कृत जीवन जीने के लिए मजबूर रहती है।

आधुनिक भारत में महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयामों में आमूल–चूल परिवर्तन आया है। उन्नसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवीं सदी तक आते–आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रषासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किये। आज महिलाएँ आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं, जिसने पुरूष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्षित की है। वह केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की डॉक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीषियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा स्पीकर के पद पर मीरा कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उतर प्रदेश की मुख्यमंत्री, मायावती, वसुन्धरा राजे, सुषमा स्वराज, जयललिता, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित आदि महिलाएँ राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी मेधा पाटकर, श्रीमती किरण मजूमदार, इलाभट्, सुधा मूर्ति आदि महिलाएँ ख्यातिलब्ध हैं। खेल जगत में पी.टी. ऊषा, अंजू बाबी जार्ज, सुनीता जैन, सानिया मिर्जा, अंजू चौपड़ा आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आई.पी.एस. किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आदि ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया है।

20वीं सदी के उत्तरार्द्ध और अब 21वीं सदी के प्रारम्भ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बनने लगे हैं। नौकरी वाली नारी के साथ पुरूष की मानसिकता में बदलाव आया हे। पहले नौकरी वाली औरत के पति को ''औरत की कमाई खाने वाला'' कह कर चिढ़ाया जाता था। आज यह सोच बदल चुकी है। स्त्री स्वातय में अर्थशास्त्र का योगदान अद्भुत है। स्त्रियां धन कमाने लगीं है तो पुरूष की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। आर्थिक दृष्टि से नारी अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है। विज्ञापन की दुनिया में नारियां बहुत आगे है। बहुत कम ही ऐसे विज्ञापन होंगे जिनमें नारी न हो लेकिन विज्ञापन में अश्लीलता चिन्तन का विषय है। इससे समाज में विकृतियां भी बढ़ रही हैं। अर्थशास्त्र ने समाजशास्त्र को बौना बना दिया है।

आज की नारी राजनीति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहुचकर नये आयाम गढ़ रही हैं। भू–मण्डलीकृत दुनिया मे भारत और यहा की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50प्रतिषत महिलाऐं डॉक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं। आजादी के बाद लगभग 12 महिलाए विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी सॉफ्टवेयर उद्योग में 21प्रतिषत पेषेवर महिलाएं हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट तथा उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहां वर्षो पहले तक महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहां सिर्फ नारी स्वयं को स्थापित ही नहीं कर पायी है बल्कि वहां सफल भी हो रही हैं।

महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये जो सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। उससे समाज में एक नयी जागरूकता उत्पन्न हुई है। बाल–विवाह, भ्रूण–हत्या पर सरकार द्वारा रोक लगाने का अथक प्रयास हुआ है। शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। गांधीजी ने कहा था कि एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्यों लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है किन्तु एक

लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन के वह सभी द्वार खोल देती है जो कि आवश्यक रूप से सामाजिक है। शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने में बहुत मदद मिली। महिलाएं अपनी स्थिति व अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी। शिक्षा ने उन्हें आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक न्याय तथा पुरूष के साथ समानता के अधिकारों की मांग करने को प्रेरित किया।

संवैधानिक अधिकारों में विभिन्न कानूनों के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिलने से उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। महिलाओं की विवाह विच्छेद परिवार की सम्पति में पुरूषों के समान अधिकार दिये गये। दहेज पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा तथा उन व्यक्तियों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की गयी जो दहेज की मांग को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। अब सरकार लिव इन रिलेषनषिप पर विचार कर रही है। संयुक्त परिवारों के विघटन होने से जैसे–जैसे एकांकी परिवार की संख्या बढ़ी इनमें न केवल महिलाओं को सम्मानित स्थान मिलने लगा बल्कि लड़कियों की शिक्षा को भी एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। वातावरण अधिक समताकारी होने से महिलाओं को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिलने लगे।

महिला शिक्षा समाज का आधार है। समाज द्वारा पुरूष को शिक्षित करने का लाभ केवल मात्र पुरूष को होता है जबकि महिला शिक्षा का स्पष्ट लाभ परिवार, समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को होता है। चूंकि महिला ही माता के रूप में बच्चे की प्रथम अध्यापक बनती है। महिला शिक्षा एवं संस्कृति को सभी क्षेत्रों में पर्याप्त समर्थन मिला। यद्यपि कुछ समय तक महिला शिक्षा के समर्थक कम किन्तु आज समय एवं परिस्थितियों ने महिला शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है।

स्त्री और मुक्ति आज भी नदी के दो किनारे की तरह है जो कभी मिल नहीं पाते। सतही तौर पर देखा जाये तो लगता है कि भारत ही नहीं, विष्व पटल पर अपनी पहचान बनाती हुई स्त्रियों ने अपनी पुरानी मान्यतायें बदली हैं। आज की स्त्री की अस्मिता का प्रश्न मुखर होता जा रहा है। अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिये संघर्ष करती हुई स्त्रियों ने लम्बा रास्ता तय कर लिया है परन्तु आज भी एक बड़ा हिस्सा सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार है। ''जब–जब स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है तब–तब जाने कितने रीति–रिवाजों, परम्पराओं पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवष कर दिया जाता है।''

वस्तुतः इक्कीसवीं सदी महिला सदी है। वर्ष 2001 महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इसमें महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के संबंध में जागरुक बनाने के प्रयास किये गए। महिला सशक्तीकरण हेतु वर्ष 2001 में प्रथम बार ''राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति'' बनाई गई जिससे देश में महिलाओं के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताए निर्धारित किया जाना संभव हो सके। इसमें आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धातिक तथा वस्तुतः उपभोग पर तथा इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी व निर्णय स्तर तक समान पहुंच पर बल दिया गया है।

आज देखने में आया है कि महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत और आत्म विश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें, नये रास्तों का निर्माण किया है। क्या मात्र इस आधार पर उस सफलता के पीछे क्षणांष भी किसी पुरूष के हाथ होने की सम्भावना को नकार दिया जायेगा। यदि नही ंतो फिर समस्या कहां है। मैं कौन हूं का प्रश्न अभी भी उत्तर की आस में क्यों खड़ा है। जवाब हमारे सभी के अन्दर ही है पर उसको सामने लाने में हम घबराते भी दिखते हैं। स्त्री को एक देह से अलग एक स्त्री के रूप मे देखने की आदत को डालना होगा। स्त्री के कपड़ों के भीतर से नग्नता को खींच–खींच कर बाहर लाने की परम्परा से निजात पानी होगी। कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी समाज में व्यवस्था के संचालन में तो सहयोगी हो सकते हैं किन्तु इसके अपरिहार्य रूप से किसी भी व्यक्ति पर लागू किये जाने से इसके विरोध की सम्भावना उतनी ही प्रबल हो जाती है जितनी कि इसको लागू करवाने की। क्या बिकाऊ है और किसे बिकना है, अब इसका निर्धारण स्वयं बाजार करता है, हमें तो किसी को बिकने और किसी को जोर जबरदस्ती से बिकने के बीच में आकर खड़े होना है। किसी की मजबूरी किसी के लिए व्यवसाय न बने यह समाज को ध्यान देना होगा।

नग्नता और शालीनता के मध्य की बारीक रेखा समाज स्वयं बनाता और स्वयं बिगाड़ता है। एक नजर में उसका निर्धारक पुरूष होता है तो दूसरी निगाह उसका निर्धारक स्त्री को मानती है। उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय, विवेकपूर्ण और अविवेकपूर्ण, स्वाधीनता और उच्छृंखलता, दायित्व और दायित्वहीनता, श्लीलता और अश्लीलता के मध्य के धुँधलके को साफ करना होगा। समाज में सरोकारों का रहना भी उतना ही आवश्यक है, जितना कि किसी भी स्त्री–पुरूष का। सामाजिकता के निर्वहन में स्त्री–पुरूष को समान रूप से सहभागी बनना होगा और इसके लिए स्त्री पुरूष को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझे और पुरूष भी स्त्री को एक देह नहीं, स्त्री रूप में एक इंसान स्वीकार करे। स्त्री की आजादी और खुले आकाष में उड़ान की शर्त उत्पादन में उसकी भूमिका हो। स्त्री की असली आजादी तभी होगी जब उसके दिमाग की स्वीकार्यता हो, न कि केवल उसकी देह की। अन्ततः कहीं ऐसा न हो कि स्त्री स्वतंत्रता और स्वाधीनता का पर्व सशक्तीकरण की अवधारणा पर खड़ा होने के पूर्व ही विनष्ट होने लगे और आने वाली पीढ़ी फिर वही सदियों पुराना प्रश्न दोहरा दे कि ''मैं कौन हूँ''।

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एंव योजनाओं का संचालन तो किया जा रहा हैं लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुंच सकने

के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरूष–प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानन्द का यह कथन उल्लेखनीय हैं–''किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहां की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियो को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए, जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें नारीशक्ति के उद्धारक नहीं, वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित हैं।''

वर्तमान में राजस्थान के सम्पूर्ण महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं में दिनांक 17 नवम्बर 2017 को आयोजित कार्यक्रम ''बेटी अनमोल है'' महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा सन् 2015 में संचालित 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में फ्लाईंग ऑफिसर अवनि चतुर्वेदी ने गुजरात के ज़ामनगर एयर बेस से जेट फाईटर (डप्ळ.21 ठप्च्छ) की उड़ान भर, प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया। यह कीर्तिमान महिलाओं में निहित अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचायक है। ऐसे उदाहरण भविष्य में महिला सशक्तीकरण की राह में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

सुझाव

1. सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की सही एवं समयबद्ध तरीके से क्रियान्विती हो।
2. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना होगा।
3. महिलाओं को कार्यस्थल, घर एवं बाहर सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी होगी।
4. रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
5. पुरूष प्रधान समाज की सोच में बदलाव लाकर महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

समाज के सन्दर्भ मे नारी की स्थिति युगानुयुग परिवर्तनषील बनी रही है। नारी की महत्ता और गौरव एवं उसका वर्चस्व और गरिमा कभी उच्च से उच्चतर हो रही है, तो कभी उसमें ह्रास परिलक्षित होता है। एकजैसा स्वरूप उसका कभी नहीं रहा। आज नारी की जो सामाजिक प्रस्थिति है, कल वैसी न थी। यह अन्य बात है कि नारी अपनी विद्यमान अवस्था को अतीत की अपेक्षा उन्नत मानती है। वर्तमान समाज में महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, व्यावसायिक क्षेत्रों मे उल्लेखनीय प्रगति की है।

आधुनिक समाज मे नारी का कार्यक्षेत्र परिवार तक सीमित न रहकर विस्तृत हो गया है। उसे समाज मे बहुल भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ रहा है। अतः स्पष्ट है कि नारी शक्ति रूपा है, जगत जननी है। नारी के संबंध में यहां तक कहा गया है कि उसमें पृथ्वी के समान क्षमा, सूर्य के समान तेज, समुद्र के समान गम्भीरता, चन्द्रमा के समान शीतलता एवं पर्वत के समान उच्चता के दर्शन होते है। महान दार्षनिक अरस्तु कहते है कि युग चाहे जो भी हो संसार की तरक्की नारी के विकास पर ही आधारित है। समाज मे जब तक नारी को उचित आदर एवं स्थान प्राप्त नहीं होगा तब तक उसका विकास सम्भव नहीं, ऐसी स्थिति मे नारी को लाना होगा, जहां वह अपनी समस्त समस्याओं का समाधान करने मे सक्षम हो। भारत मे इंदिरा गांधी ओर अहल्या बाई जैसी निर्भीक नारी की परम्परा को जारी रखना होगा। नारी शिक्षा को बढावा देना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *रीना, ''पंचायतों में महिलाओं की सहभागीता'' समाज कल्याण, अंक – 09, 2017*
2. *विपिन कुमार सिंघल, कृत ''भारत में महिला सशक्तीकरण : समस्याएँ एवं चुनौतियां, 2017*
3. *वैशाली देवपुरा, ''राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी : समस्याएँ एवं सम्भावनाएँ'', श्रृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, 6 फरवरी, 2018*
4. *भारतीय संविधान*
5. *कमलेश कुमार गुप्ता, महिला सशक्तीकरण बुक एनक्लेव, जयपुर*
6. *राम आहुजा, ''भारतीय सामाजिक व्यवस्था'', रावत प्रकाशन जयपुर, 1995*
7. *राम आहूजा, ''राइट्स ऑफ वुमन : ए फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव'', रावत प्रकाशन दिल्ली, 1992*
8. *बहादुर सिंह करण, ''महिला अधिकार व सशक्तीकरण'', कुरूक्षेत्र, मार्च 2006*
9. *सुरेश लाल श्रीवास्तव, ''राष्ट्रीय महिला आयोग'', कुरूक्षेत्र, मार्च 2007*
10. *ए.एस. अल्टेकर ''द पोजीषन ऑफ वुमन इन हिन्दु सिविलाइजेशन'', मोती लाल बनारसी लाल वाराणसी, 1938*
11. *नदीम हसनैन, ''समकालीन भारतीय समाज'', भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2004*
12. *नीरा देसाई एवं ऊषा ठक्कर, ''भारतीय समाज में महिलाएँ'' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशन, भारत, 2001*
13. *एम.एन. श्रीनिवास, ''द चेन्जिग पोजीशन ऑफ इण्डिया वूमन'', आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे, 1978*
14. *नीरा देसाई की पुस्तक, ''वुमन इन इण्डियन सोसाइटी'', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशन, भारत, 2001*
15. *अखण्ड ज्योति*
16. *wikipedia.org*
17. *www.rachanakar.org ,uhye ;kno*
18. *www.hindikiduniya.com*